न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 906/2024

अनवान : –

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील।

– वादी

बनाम्

1. भूपसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
2. उर्मीला पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
3. अनीता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. अमृता पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. पूजा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक: 01/10/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मोजा सोनडी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 677/649 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 21.9670 है0 भूमि में से 2665/43934 हिस्सा भूमि व खाता संख्या 572/572 के कुल खसरे 2 की कुल 6.2850 है. भूमि में से 13166/31425 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं।

उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 जो के दादा है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पौत्र व भतिजे के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 जो की वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 जो की वादी बहिन है उपरोक्त भूमि कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्र व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार बाद हक त्यांग रोही मोजा सोनडी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 677/649 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 21.9670 है0 भूमि में से 2665/43934 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है तथा खाता संख्या 572/572 के कुल खसरे 2 की कुल 6.2850 है. भूमि में से 13166/31425 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 काबिज है। वादी जिसकी घोषणा न्यायालय से करवाकर राजस्व रिकार्ड मे दर्ज करवा पाने का अधिकारी

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:13 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नही है। प्रतिवादी संख्या 6 पेरोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य जमाबंदी रोही मौजा सोनड़ी सम्वत 2070–73 खाता स0 572/572, 677/649 पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि उक्त वाद भूमि वादी की दादालाई खातेदारी कृषि भूमि है प्रतिवादी संख्या 1 जो के दादा है तथा प्रतिवादीया संख्या 2 ता 3 जो की वादी की बुआ है उपरोक्त भूमि में अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पौत्र व भतिजे के पक्ष में परित्याग कर चुके है तथा प्रतिवादीया संख्या 4 जो की वादी की माता है तथा प्रतिवादीया संख्या 5 जो की वादी बहिन है उपरोक्त भूमि कोई हक व हिस्सा नही लेना चाहती तथा अपना जो भी हक व हिस्सा है अपने पुत्र व भाई के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार बाद हक त्याग रोही मोजा सोनडी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 677/649 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 21.9670 है0 भूमि में से 2665/43934 हिस्सा भूमि पर वादी काबिज है तथा खाता संख्या 572/572 के कुल खसरे 2 की कुल 6.2850 है. भूमि में से 13166/31425 हिस्सा भूमि पर प्रतिवादी सं. 1 काबिज है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई एतराज़ नही है। अतः वादी का वाद डिकी फरमाया जावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:13 IST
Reason: SelfAttested

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहक को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मोजा सोनडी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 677/649 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल

होना जाहिर किया है। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ता 3 ने अपना हक हिस्सा त्याग कर शुन्य कर लिया है। वादी द्वारा पत्रावली में दर्शाये गये सजरा खानदान के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 के अन्य कोई वारिस नही होना स्वीकार किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नही है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा सोनडी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 677/649 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 21.9670 है0 भूमि में से 2665/43934 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 572/572 के कुल खसरे 2 की कुल 6.2850 है. भूमि में से 13166/31425 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/– रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 01/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:13 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या – 906 / 2024

अनवान : –

1. नरेन्द्र कुमार पुत्र ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनडी तहसील।

– वादी

बनाम्

1. भूपसिंह पुत्र रामजस जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
2. उर्मीला पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी सोनडी तहसील नोहर ।
3. अनीता पुत्री भूपसिंह जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
4. अमृता पत्नी ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
5. पूजा पुत्री ओमप्रकाश जाति जाट निवासी सोनड़ी तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 906 सन 2024 निर्णय दिनांक 01/10/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ / अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री क़िया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मोजा सोनडी तहसील नोहर के जमाबदी सम्वत् 2070–2073 के खाता संख्या 677 / 649 के कुल खसरे 3 का कुल क्षेत्रफल 21.9670 है0 भूमि में से 2665 / 43934 हिस्सा भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को बतौर खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा खाता संख्या 572 / 572 के कुल खसरे 2 की कुल 6.2850 है. भूमि में से 13166 / 31425 हिस्सा भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम यथावत रहेगी। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500 / – रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरूस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 01/10/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2024.10.07 18:42:13 IST
Reason: SelfAttested

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर